न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 35/2013 – निगरानी

विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटडी जिला भीलवाडा	बनाम	1. श्री शमीर मोहम्मद पिता इमामबक्ष मुसलमान निवासी कोटडी 2. ग्राम पंचायत कोटडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कोटडी पं.सं. कोटडी
–निगराकार		–गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम राजस्थान विरूद्व पटटा , पटटा गृहिता शमीर मोहम्मद पिता इमामबक्ष को जारी दिनांक 15.06.1993 को निरस्त किये जाने हेतु

उपस्थित :–

1. विभागीय पेरोकार – निगराकार की ओर से
2. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 27-02-2020

निगराकार की ओर से निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम राजस्थान विरूद्व पटटा , पटटा गृहिता शमीर मोहम्मद पिता इमामबक्ष को जारी दिनांक 15.06.1993 को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत हुयी, जिसे दिनांक 10.10.2013 को दर्ज रजिस्टर कर गैर निगराकारान् को वज़ह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। निगराकार की ओर से निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर निगराकार सं. 1 को ग्रा.पं. कोटडी द्वारा दिनांक 15.06.1993 को निःशुल्क आवासीय भूखण्ड का पटटा जारी किया । आवंटन के पश्चात शर्त सं. 8 के अनुसार उक्त भूखण्डों पर 2 वर्ष के अन्दर मकान या झोंपडी बनाना अनिवार्य था लेकिन 2 वर्ष की अवधि व्यवतीत हो जाने पर भी आवंटित भूखण्डों पर मकान अथवा झोंपडे का निर्माण नही किया गया। पटटे की शर्त सं. 8 का उल्लघंन किये जाने से निगरानी विरूद्व गैर निगराकार सं. 1 के प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर निगराकार सं. 1 को दिनांक 15.06.1993 को जारी निःशुल्क आवासीय भूखण्ड पटटे को निरस्त कराया जाये ।

गैर निगराकार सं. 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। गैर निगराकार के अधिवक्ता ने बहस में भाग नही लिया ।

निगराकार की ओर से विभागीय पेरोकार ने अपनी बहस में बताया कि निगरानी में अंकित बिन्दु सं. 1 से लगायत 8 को दोहराते हुये गैर निगराकार सं. 1 के नाम दिनांक 15.06.1993 को जारी निःशुल्क पटटे को निरस्त कराने की प्रार्थना की है ।

निगराकार की निगरानी एवं दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। निगराकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार ग्राम पंचायत कोटडी ने दिनांक 15.06.1993 को आवासीय भूखण्ड शमीर मोहम्मद पिता इमामबक्ष मुसलमान निवासी कोटडी के पक्ष में निःशुल्क जारी किया गया। इस पटटे में पटटे की शर्त सं. 8 में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

आवंटन के दो वर्ष के अन्दर मकान या झोंपडी इत्यादि बनवाना अनिवार्य होगा। यदि इस अवधि में कार्य नही किया गया तो भूखण्ड वापस लेने का अधिकार आवण्टन अधिकारी को होगा, लेकिन गैर निगराकार द्वारा उक्त आवंटित आवासीय भूखण्ड पर दो वर्ष की कालावधि में मकान व झोंपडी इत्यादि नही बनाये गये है। आवासीय भूखण्ड आवंटन दिनांक 15.06.1993 की शर्त सं. 8 का गेर निगराकार द्वारा उल्लघंन किया जाना पाया जाता है। इसका प्रमाण जिला जन अभाव अभियोग एवं सर्तकता समिति भीलवाडा की कार्यवाही विवरण दिनांक 13.5.2013 के परिवाद सं. 24 /2013 से प्रमाणित होता है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है । अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी धारा 97 विरूद्व ग्राम पंचायत कोटडी पंचायत समिति कोटडी स्वीकार कर आवासीय भूखण्ड आंवटन विलेख दिनांक 15.06.1993 शमीर मोहम्मद पिता इमामबक्ष मुसलमान निवासी कोटडी के नाम जारी आवासीय भूखण्ड पटटा को खारिज किया जाता है । निर्णय की प्रति सरपंच ग्राम पंचायत कोटडी को पालनार्थ प्रेषित है ।

निर्णय आज दिनांक 27-02-20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2020.02.27 17:42:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: